पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2010 ई0 (बैशाख 04, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–17

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	107–109	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	67	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	71–87	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–2

अधिसूचना

(शक्ति)

25 मार्च, 2010 ई0

संख्या 478 / XX(2) / 109 / परीक्षा–टी0सी0 / 2002–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2, सन्–1974) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राज्यपाल, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा संचालित वर्ष 2009–2010 की स्नातक / परास्नातक की वार्षिक परीक्षाओं के लिए उत्तराखण्ड के जनपद–उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार एवं देहरादून के सभी परीक्षा केन्द्रों के वरिष्ठ केन्द्राध्यक्षों / सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं इन परीक्षाओं से सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलसचिव, विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा), मुख्य नियन्ता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण तथा परीक्षा नियंत्रक को दिनांक 25 मार्च, 2010 से 31 मई, 2010 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे और उन्हें ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती है, जिनका वे उन परीक्षा केन्द्रों की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे, जिनके वे केन्द्र व्यवस्थापक हैं।

अधिसूचना (संशोधित)

(शक्ति)

13 अप्रैल, 2010 ई0

संख्या 585 / XX(2) / 109 / परीक्षा–टी0सी0 / 2002–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2, सन्–1974) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राज्यपाल, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा संचालित वर्ष 2009–2010 की स्नातक / परास्नातक की वार्षिक परीक्षाओं के लिए उत्तराखण्ड के जनपद–उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार एवं देहरादून के सभी परीक्षा केन्द्रों के वरिष्ठ केन्द्राध्यक्षों / सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं इन परीक्षाओं से सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलसचिव, विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा), मुख्य नियन्ता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण तथा परीक्षा नियंत्रक को दिनांक 05 अप्रैल, 2010 से 09 जून, 2010 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे और उन्हें ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती है, जिनका वे उन परीक्षा केन्द्रों की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे, जिनके वे केन्द्र व्यवस्थापक हैं।

2–पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–478 / XX(2) / 109 / परीक्षा–टी0सी0 / 2002, दिनांक 25 मार्च, 2010 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

26 मार्च, 2010 ई0

संख्या 2247 / VII-II / 133–उद्योग / 2001–उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन विषयक अधिसूचना संख्या 3387 / औ0वि0 / 2002 / 133–उद्योग / 2001, दिनांक 17 अगस्त, 2002 एवं उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) में दी गयी व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य पद पर श्री बुद्धि सिंह पंवार, बाराहाट, उत्तरकाशी के स्थान पर श्री अनुसूया प्रसाद जोशी, जनपद–रुद्रप्रयाग को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–9

अधिसूचना

12 अप्रैल, 2010 ई0

सं0–यू0ओ0–03 / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प / 2010–राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) एवं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 78(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ग्राम सुमाड़ी, नकोट लग्गा खालू, सुपाणा लग्गा खालू एवं स्यार मल्ला जनपद पौड़ी गढ़वाल, में स्थित 9.662 हेक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एन0आई0टी0) के नाम दान पत्र के माध्यम से अंतरित किये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. U.O. 03/XXVII(9)/2010/ Stamp/2010,** Dehradun : dated April 12, 2010 for general information :

NOTIFICATION

April 12, 2010

No. U.O. 03/XXVII(9)/2010/Stamp/2010--In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899) and Section 78 (A) of Registration Act, 1908. The Governor is pleased to remit the stamp fees and registration fees chargeable by the State Government on transfer of 9.662 Hect. land situated at village Sumari, Nakot Lagga Khalu, Supanda Lagga Khalu and Sayar Malla, Distt. Pauri Garhwal, by way of giftdeed to the National Institute of Technology (NIT).

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट / 216–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पजीकृत सख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2010 ई0 (बैशाख 04, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

March 29, 2010

No. 249/UHC/Admin.A/2010--Sri Nitin Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Nainital, *vice* Sri Rajeev Kumar Khulbe.

March 29, 2010

No. 250/UHC/Admin.A/2010--Sri Rajeev Kumar Khulbe, Chief Judicial Magistrate, Nainital, is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, *vice* Sri Bharat Bhushan Pandey.

March 29, 2010

No. 251/UHC/Admin.A/2010--Sri Bharat Bhushan Pandey, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, is transferred and posted as 1st Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Udhamsingh Nagar, *vice* Smt. Shadab Bano.

March 29, 2010

No. 252/UHC/Admin.A/2010--Sri Arvind Kumar, 1st Addl. Chief Judicial Magistrate, Hardwar, is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Almora, *vice* Smt. Pritu Sharma.

March 29, 2010

No. 253/UHC/Admin.A/2010--Ms. Monika Mittal, Civil Judge (Sr. Div.), Nainital, is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Bageshwar, *vice* Smt. Anjushree Juyal.

March 29, 2010

No. 254/UHC/Admin.A/2010--Smt. Anjushree Juyal, Chief Judicial Magistrate, Bageshwar, is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar, *vice* Sri Nitin Sharma.

March 29, 2010

No. 255/UHC/Admin.A/2010--Smt. Pritu Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Almora is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Nainital, *vice* Ms. Monika Mittal.

March 29, 2010

No. 256/UHC/Admin.A/2010--Smt. Shadab Bano, 1st Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Udhamsingh Nagar is posted as 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Udhamsingh Nagar, in the vacant Court.

By Order of the Court,
Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट / 216–भाग 1–क–2010 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–सयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2010 ई0 (बैशाख 04, 1932 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पंचायत, कालाढूंगी (नैनीताल)

28 जनवरी, 2010 ई0

संख्या 2608 / I–कर अनुभाग–2009–10–नगर पंचायत कालाढूंगी, जिला–नैनीताल ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 298(2) की सूची–1 क, ख (जो वर्तमान में उत्तराखण्ड में भी लागू है) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सीमा के अन्तर्गत भवन निर्माण, पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन आदि को नियंत्रत करने के लिए निम्नलिखित उपनियम बनाने गये हैं जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0 4(2) दिनांक 30–12–2009 के द्वारा कर दी गयी है।

अतः उपविधि उक्त एक्ट की धारा 300(1) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

उपनियम

1–परिभाषा–

किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर–

(क) यह उपविधि नगर पंचायत कालाढूंगी की सीमा अन्तर्गत भवन निर्माण / पुनर्निमार्ण / परिवर्तन विनयमन हेतु उपविधि कहलायेगी।

(ख) प्रशासक / अध्यक्ष / प्रभारी अधिकाारी का तात्पर्य नगर पंचायत कालाढूंगी के प्रशासक / अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत कालाढूंगी के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) सेवक से तात्पर्य नगर पंचायत कालाढूंगी के अधीन सेवारत कर्मचारी से है।

(ङ) सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत कालाढूंगी की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(च) निकाय का तात्पर्य नगर पंचयात कालाढूंगी से है।

(छ) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2—नगर पंचायत कालाढूंगी जिला नैनीताल उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 178 की उपधारा (2) के अभिदेश के अनुसार यह चाहती है कि निकाय की सीमान्तर्गत प्रत्येक प्रकार के भवन निर्माण की सूचना निम्न उपनियमों के अधीन निकाय को दी जाये।

उप शीर्ष सी

3—भवन निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा उसमें मुख्य परिवर्तन के विचार की सूचना निम्नलिखित उपनियमों के अनुसार दी जायेगी।

4—60 इंच के बराबर 1 इंच के पैमाने में नक्शा बनाया जायेगा जिसमें भवन की स्थिति तथा चित्रों के साथ तत्सम्बन्धित भवन का उत्तरी बिन्दु स्पष्ट रूप से दिखाया जायेगा, हर नक्शे पर प्रार्थी के हस्ताक्षर होंगे नक्शे में निम्नलिखित विवरण विशेष रूप से दिखाये जाने चाहिए :—

(ए) प्रस्तावित भवन को उससे मिलने वाली सडकों, गलियों, दूसरे भवनों तथा जायदाद से सम्बन्धित स्थिति तथा मौहल्ला लिखना चाहिए, उससे मिलने वाली गलियों और सडकों की चौडाई भी लिखना चाहिये ऐसी दशा में जब कि सडकों तथा गलियों की चौड़ाई एक सी न हो कम से कम चौडाई भी दिखाई जानी चाहिए।

(बी) समस्त कुओं, पानी की पाइप लाइनों, नालियों, शौचालयों तथा अन्य सफाई व्यवस्थाओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखायी जायें।

(सी) नक्शे में निम्नलिखित बातें भी दिखाई जायें :—

1. गृह, तालाब, भवन की स्थिति से संबधित सडक या जायदाद और खाली पडे स्थान।

2. पहली या ऊपरी सतह तथा प्रत्येक अतिरिक्त सतह।

3. मकान के मुख्य अगले भाग की कुर्सी।

(डी) नक्शे में समस्त नये काम प्रथम रंगों से दिखाये जायें और इन प्रयोगित रंगों की तालिका भी नक्शे में होनी चाहिए।

(ई) किसी भी भवन में सडास अथवा खुला शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5—कोई शौचालय सार्वजनिक सड़क की ओर नहीं खुलने दिया जायेगा, जब तक कि 5 फिट ऊंचा अतिरिक्त दरवाजा या 3 फुट ऊंची दीवार इस स्थिति के साथ न बनायी जावे कि अतिरिक्त दरवाजा या दीवार द्वारा शौचालय से पर्दा न किया हो।

6–प्रत्येक शौचालय मूत्रालय का फर्श जो पक्के मकान से संबंधित हो वह बिना चमकदार पालिश की हुयी टायलों, पत्थरों, प्लेटों, पक्का सिमेन्ट प्लास्टर अथवा न घुमने वाले मसाले से जिनकी मोटाई 1/2 इंच से कम न हो नहीं बनाया जायेगा।

उप शीर्षक (एच0) तृतीय

7–पक्के मकानों की नालियां जिनमें होकर मकान का गन्दा पानी जाता है वह पक्के मिट्टी के अथवा अर्धगोलाकार बर्तन से अथवा रोशनदान नहीं व सीमेन्ट से प्लास्टर की हुयी ईंटों से बनायी जायेगी।

8–तंग नालियों में पक्के मकानों की खासी परनाले होंगे, या लोहे के परनाले अथवा निचले नलों के परनाले होंगे, जिसमें बन्द होकर छत, छज्जों या अन्य प्रक्षेपणों का पानी निकाला जावे। लोहे के बन्द परनाले या निचले नल मजबूती के साथ गवाये जायेंगे। जिसके निचले भाग में कोहली होगी। चौड़ी सड़कों में उस सड़क पर प्रत्येक परनाले के नीचे पत्थर की शिला डाली जायेगी।

उप शीर्ष (ई)

9–धारा 181 के संदर्भ में उल्लेखित अनुमति का कार्यकाल एक वर्ष होगा तथा प्राप्त स्वीकृति की अवधि समाप्ति के पश्चात् कार्य नहीं किया जायेगा। जब तक दुबारा स्वीकृत के लिए प्रार्थना न कि गयी हो।

10–स्वीकृति चाहने वाले कार्यों का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी या निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय किसी कार्य को जबकि उसका निर्माण किया जा रहा हो अथवा यह सूचना कि कार्य पूरा हो चुका है प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर अथवा ऐसी सूचना के न प्राप्त होने पर कार्य की समाप्ति के पश्चात किसी भी क्षण भी निरीक्षण कर सकता है।

उप शीर्ष (एच)

11–मानव निवास के लिए बनाया हुआ अथवा मानव निवास में प्रयुक्त होने वाले कमरे में से कम से कम 3 हवादार खिड़कियां होंगी जिनका पूरा क्षेत्रफल 60 वर्गफिट से कम नहीं होगा।

12–जबकि मकान मानव निवास के काम आता हो तो उसकी भूमि में तिहाई क्षेत्रफल से अधिक पर मकान नहीं बनाया जायेगा किन्तु दो मंजिले मकान पर यह प्रतिबन्ध लागू न होगा।

उप शीर्ष (एच) पंचम

13–मकान की कुर्सी का सबसे निचला भाग सामने वाली सड़क के सबसे ऊंचे बिन्दु कम से कम एक फिट ऊंचा होगा और उसकी स्वीकृति देने वाले अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार पानी बाहर जाने का प्रबन्ध होगा।

14–किसी सड़क, गली, गलियारे या मुहाने से भवन का अगला स्थान पूरी लम्बाई में कम से कम चार फिट खुला होगा यदि वह सड़क गली या गलियारे किसी पार्क या विकास क्षेत्र को जाती हो तो वह स्थान पांच फिट खुला होगा इस स्थान पर सिवाये चबूतरा, मेहरा अथवा अन्य प्रक्षेपण के जो बाहरी हवा के लिए खुला रहे कुछ नहीं, बनाया जायेगा।

15–बोर्ड/निकाय के अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह दी गयी स्वीकृति को रद्द कर सकता है, वह संशोधन कर सकता है यदि यह ज्ञात हो जाये कि स्वीकृति के धोखे अथवा मिथ्या कथन के फलस्वरूप हो गयी थी तो ऐसा किया गया कार्य बिना स्वीकृति के किया गया कार्य समझा जायेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्वीकृति को रद्द करने अथवा संशोधन करने के पूर्व निकाय द्वारा सम्बद्ध पक्ष को सुनने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करेगी।

उप शीर्ष एच (1)

16–कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण, पुनः निर्माण अथवा उसमें मुख्य परिवर्तन आदि का कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 178 के अनुसार सूचना न दी हो तथा निकाय द्वारा स्वीकृति प्राप्त न हुई हो व निम्न शुल्क नगर पंचायत के कार्यालय में जमा न कर दिया हो :–

1. नया भवन भूमि तल के निर्माण के लिए 4/– प्रति वर्ग फिट।

2. भवन का पुनः निर्माण, भूमि तक के बाद प्रति तल 5/– प्रति वर्ग फिट।

3. भवन निर्माण, पुनः निर्माण भूमि तल के बाद प्रति तल 5/– प्रति वर्ग फिट।

17–मनोरंजन के किसी स्थान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के संबध में।

सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भवन के निर्माण अथवा उसमें परिवर्तन करने की स्वीकृति, निकाय द्वारा बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के नहीं दी जायेगी, यदि ऐसे भवन के निर्माण स्थल अथवा प्रस्तावित निर्माण स्थल–

(क) निम्नलिखित की एक फर्लांग के अर्द्धव्यास में है।

1–कोई आवासीय संस्था जो किसी भी अभिज्ञात शिक्षा संस्था जैसे कालेज या लड़कियों के स्कूल से संलग्न हो या

2–कोई सार्वजनिक अस्पताल जिसमें भर्ती होकर चिकित्सा कराने वाले रोगियों के लिए एक बड़ा कक्ष अथवा

3–कोई अनाथालय जिसमें एक सौ या उससे अधिक व्यक्ति रहते हों जो किसी घनी आबादी के ऐसे आवासीय क्षेत्र में हो जो या तो केवल आवास के प्रयोजन के लिए हो अथवा व्यापारिक प्रयोजनों से घनी आवासीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित हो या सामान्यतः प्रयुक्त होता हो या किसी ऐसे क्षेत्र में जो किसी विधि के अधीन किसी गृह निर्माण अथवा नियोजन की योजना द्वारा अन्य प्रकार के आवासीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चल चित्रों के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी भवन के निर्माण की आज्ञा उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक निकाय को यह समाधान न हो जाये कि नक्शों तथा इसकी प्रविष्टियों के संबंध में सिनेमा फोटाग्राफर ऐक्ट, 1916 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

18–निम्नलिखित शुल्क से मुक्त रहेंगे–

1. मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा व अन्य सभी धार्मिक स्थान व संस्थाऐं।

दण्ड

धारा 299 (1) म्यू0 ऐक्ट 1916 नगर पंचायत, कालाढूंगी, जिला नैनीताल आदेश देती है कि इन उपनियमों के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड जो 1000/– (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है, और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो पहले अपराध के दिनांक के पश्चात् से प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, तो रु0 50/– (पचास रुपया) प्रतिदिन तक अतिरिक्त अर्थदंड हो सकता है।

28 जनवरी, 2010 ई0

संख्या 2607/I–कर अनुभाग/09–10–नगर पंचायत कालाढूंगी, जिला–नैनीताल ने उत्तर प्रदेश म्यु0 एक्ट 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 298 (2) लिस्ट–1 जे (डी) के अन्तर्गत अपनी सीमा अन्तर्गत तहबाजारी की व्यवस्था को नियंत्रित तथा विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उपनियम बनाने गये हैं। जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0 3(1) दिनांक 30–12–2009 के द्वारा कर दी गयी है।

अतः उपविधि उक्त एक्ट की धारा 300(1) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

उपनियम हाट बाजार/तहबाजारी

1–परिभाषा–किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर.....

(क) यह उप विधि नगर पंचायत कालाढूंगी की सीमा अन्तर्गत साप्ताहिक हाट बाजार/तहबाजारी के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी।

(ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, का तात्पर्य नगर पंचायत कालाढूंगी के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) सेवक, से तात्पर्य नगर पंचायत के अधीन सेवारत कर्मचारी से है जो तहबाजारी कार्य के लिए नियुक्त अथवा अधिकृत किया गया हो।

(ङ) निकाय, से तात्पर्य नगर पंचायत कालाढूंगी से है।

(च) ठेकेदार, से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसको निकाय द्वारा वार्षिक के रूप में वसूली के लिए ठेका दिया गया हो।

(छ) शैड्यूल, का तात्पर्य निकाय द्वारा समय पर निर्धारित की जाने वाली तहबाजारी दरों से है।

(ज) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

खण्ड (ब)

1–नगर पंचायत कालाढूंगी अपनी सीमा अन्तर्गत निश्चित स्थान पर प्रत्येक शुक्रवार को बाजार लगायेगी, जिसे साप्ताहिक बाजार (पैंठ) कालाढूंगी के नाम से जाना जायेगा।

2–साप्ताहिक पैंठ का स्थान अधिशासी अधिकारी द्वारा परिस्थितियों के अनुसार 15 दिन पूर्व सूचना प्रदान कर परिवर्तित किया जा सकता है।

3–साप्ताहिक पैंठ में आने वाले दुकानदारों हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत द्वारा भूमि का निर्धारण किया जायेगा। उक्त निर्णय रूप से भी सम्बन्धित को मान्य होगा।

4–साप्ताहिक पैंठ में कोई भी व्यक्ति या दुकानदार स्थाई रूप से कब्जा नहीं कर सकता है और न ही कोई पक्का निर्माण कर सकेगा।

5–साप्ताहिक पैंठ में विक्रय हेतु आने वाली प्रत्येक प्रकार की खाद्य सामग्री का अधिशासी अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा खराब पाये जाने वाली वस्तुओं को अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर सकता है और दुकान को पैंठ में आने से रोक लगायी जा सकती है।

6–साप्ताहिक पैंठ में कोई भी दुकानदार आवश्यक वस्तुओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर नहीं बेच सकता।

7–साप्ताहिक पैंठ में मछली तथा मीट को एवं अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ को खुले स्थान पर नहीं बेचा जा सकता इसके लिए सामान को भली प्रकार से ढंक कर रखना होगा।

8–कोई भी व्यक्ति इन उपनियमों में वर्णित स्थानों के अतिरिक्त, अधिशासी अधिकारी या निकाय द्वारा अधिकृत किसी कर्मचारी से लिखित स्वीकृति तथा निर्धारित शुल्क के दिये बिना निकाय सीमा के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक गली, स्थान में न कोई वस्तु बेचेगा न बेचने के लिए रखेगा और न कोई बूथ या स्टाल बनायेगा।

9–नगर सीमा के अन्तर्गत फेरी लगा कर सामान बेचने वाले प्रत्येक पैडलर को सूची में दी गयी दरों के अनुसार शुल्क देना अनिवार्य है।

10–यदि निकाय नीलाम द्वारा तहबाजारी का ठेका किसी ठेकेदार को देती है तो ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को सूची के अनुसार तहबाजारी शुल्क लेने का अधिकार होगा, साथ ही यह भी उपनियमों एवं सूची में अंकित दरों के अनुसार संचालित होगा।

11–इन उपनियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले किसी शुल्क की प्राप्ति पर शुल्क लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर निर्धारित प्रपत्र में करने के पश्चात् शुल्क देने वाले व्यक्ति को देगा।

12–शुल्क स्थल पर न देने के फलस्वरुप यदि कार्यालय में वसूल किया जाता है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को यह आदेश देने का अधिकार है कि सूची में दी गयी दरों से दुगनी रकम वसूल की जाये।

उपनियम 1 में दिये गये स्थानों की सूची

1–निकाय सीमा के अन्तर्गत सभी सड़कें एवं नालियां।

2–खुले सार्वजनिक स्थान या अचल सम्पत्ति जो निकाय के अन्तर्गत प्रबन्ध हेतु दी गयी है।

3–निकाय सीमा के अन्तर्गत कोई स्थान या मौहल्ला।

4–निकाय सीमा के अन्तर्गत सभी खुले स्थान, मोटर स्टेशन या रेलवे स्टेशन सहित।

प्रस्तावित तहबाजारी दरों की सूची

क्र0सं0	नाम वस्तु/मद	प्रस्तावित तहबाजारी दरों की सूची
1	2	3
1.	मिर्च, गल्ला, धनिया, लहसुन, आटा, हल्दी, कपास, रुई, नमक इत्यादि थोक में	15.00 प्रति फड़
2.	मिर्च, गल्ला, धनिया, लहसुन, आटा, हल्दी, कपास, रुई, नमक इत्यादि फुटकर में	15.00 प्रति फड़
3.	घी थोक में	10.00 प्रति फड़
4.	घी फुटकर में	10.00 प्रति फड़
5.	गुड़ भेली	00.50 प्रति भेली या 20.00 प्रति कुन्तल
6.	जूता फरोश	12.00 प्रति फड़
7.	मोची	10.00 प्रति फड़

1	2	3
8.	बिस्कुट, मूंगफली, खोमचे	12.00 प्रति फड़
9.	फल, खरबूजा, तरबूज, आम तथा अन्य फल	10.00 प्रति टोकरी या 50.00 प्रति मेटाडोर/ 25.00 प्रति गाड़ी
10.	सब्जी फुटकर में	12.00 प्रति फड़
11.	सब्जी थोक में	10.00 प्रति बोरी या 25.00 प्रति गाड़ी
12.	पटवा, नेचेबद, मनिहार, पलिया फरोश	12.00 प्रति फड़
13.	कुम्हार	20.00 प्रति गाड़ी या 10.00 प्रति घोड़ा या 8.00 प्रति फड़
14.	टोकर, बांसी आदि	12.00 प्रति फड़
15.	बारबर (नाई)	12.00 प्रति फड़
16.	अचार मुरब्बा आदि	12.00 प्रति फड़
17.	भुर्जी	12.00 प्रति फड़
18.	मेवा फरोश	15.00 प्रति फड़
19.	दर्जी	12.00 प्रति फड़
20.	छिपी लिहाफ, दरी, कम्बल आदि के विक्रेता	15.00 प्रति फड़
21.	कपड़े की दुकान, बजाज	12.00 प्रति फड़
22.	कपड़ा रेडीमेड व पुराना	12.00 प्रति फड़
23.	बिसाती	12.00 प्रति फड़
24.	तेली	12.00 प्रति फड़
25.	तमोली	12.00 प्रति फड़
26.	हलवाई	15.00 प्रति फड़
27.	सर्राफ–(अ) सोना चांदी के जेवर विक्रेता	25.00 प्रति फड़
	(अ) सोना, चांदी के जेवर विक्रेता	25.00 प्रति फड़
28.	लौहार	15.00 प्रति फड़
29.	मछली व अण्डे	20.00 प्रति फड़ या 15.00 प्रति टोकरी
30.	मुर्गा, मुर्गी, बत्तख आदि	20.00 प्रति फड़ 05.00 अदद
31.	पन्सारी	18.00 प्रति फड़
32.	गन्ना फरोश	15.00 प्रति फड़ या 30.00 प्रति गाड़ी
33.	बकरा, बकरी, भेड़ आदि बिक्री	15.00 प्रति राश

1	2	3
34.	रजिस्टरी अन्य मवेशी बड़ा बिक्री	25.00 प्रति राश
35.	कसेरा, अल्मूनियम, पीतल, कलई, स्टील आदि के बर्तन विक्रेता	15.00 प्रति फड़
36.	सींके, मूंज, बान आदि बिक्री	10.00 प्रति फड़
37.	चारपाई, पाये, हरस, लकड़ी के सामान, फर्नीचर, लाठी, डन्डे बगैरहा आदि की बिक्री	12.00 प्रति फड़
38.	आटा, दाल, चावल आदि	15.00 प्रति फड़ या 05.00 प्रति गाड़ी
39.	बीड़ी आदि के विज्ञापन पर	15.00 प्रति कार, टैम्पो, मेटाडोर आदि
40.	चटाई आदि	01.00 बड़ी अदद
41.	चाय, सोडा, लेमन, मलाई, बर्फ, आइसक्रीम, रस, जूस वगैरहा फुटकर	15.00 प्रति पेटी
42.	सोडा लेमन, मलाई, पेय पदार्थ आदि के थोक में	50.00 प्रति ट्रक या 25.00 प्रति टैम्पो या 10.00 प्रति रिक्शा
43.	बर्फ की सिल्ली	02.00 प्रति सिल्ली
44.	तम्बाकू, सुरती, पान का तम्बाकू आदि	10.00 प्रति फड़
45.	चाट खोमचा आदि	10.00 प्रति फड़ या 10.00 प्रति ठेला
46.	घास अगोला व अन्य चारा	20.00 प्रति गाड़ी
47.	लकड़ी, ईंधन आदि की बिक्री	02.00 प्रति गट्ठा 08.00 प्रति रिक्शा, 10.00 प्रति तांगा, 08.00 प्रति फड़ 15.00 प्रति ट्राली
48.	पान, सिगरेट, बीड़ी, साबुन, तेल, घी आदि की बिक्री	10.00 प्रति खोमचा, 40.00 प्रति ट्रक या 25.00 प्रति टैम्पो या 12.00 प्रति तांगा / रिक्शा
49.	इमारती लकड़ी / फर्नीचर, मोटे चौखट आदि	20.00 प्रति फड़
50.	बताशे, बुरा, खाण्ड आदि	12.00 प्रति फड़
51.	रेबड़ी, गजक आदि	12.00 प्रति फड़ 10.00 प्रति फड़
52.	पौध, आम–नींबू–नारंगी आदि	10.00 प्रति टोकरी या 25.00 प्रति गाड़ी
53.	ईंधन, कोयला, ईंट, पत्थर, रेता आदि जमा कर बिक्री पर	40.00 प्रति फड़ या 25.00 प्रति ट्राली या 20.00 प्रति टैम्पो

1	2	3
54.	मनिहार	12.00 प्रति फड़
55.	फेरी वाला	08.00 प्रति फड़
56.	डिन्डोला व चर्खा, बाइस्को	15.00 प्रति दिन
57.	सर्कस, सिनेमा, वी0डी0ओ0 आदि	25.00 प्रति दिन
58.	संगीत तथा अन्य व्यवसायिक प्रचार लाउडीस्पीकर से	25.00 प्रति दिन
59.	नीलामी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय	15.00 प्रति दिन
60.	भाषणों का मजमा लगाकर वस्तु का विक्रय या तमाशों का व्यापार	15.00 प्रति दिन
61.	नौटंकी	15.00 प्रति दिन
62.	दूध फेरी वाले	00.50 प्रति लीटर या 10.00 प्रति दिन
63.	सार्वजनिक उद्देश्य से सार्वजनिक भूमि पर खुली या खड़ी गाड़ी, टैम्पो, ट्रक, ट्राली, ट्रैक्टर, बस, कार, अन्य प्रकार का निर्माण या दीवारलोहा, लकड़ी के ढांचे से घिरी जगह	05.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन
64.	सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या सरकारी भूमि पर खुली या खड़ी गाड़ी टैम्पो, ट्रक, ट्राली, ट्रैक्टर, बस, कार, मोटर साईकिल, हैरो, प्याऊ आदि, कृषि यन्त्र तथा कृषि का सामान थ्रेशर मशीन आदि पड़ा हो तो मैकेनिक दुकान की तहबाजारी देय होगी	10.00 प्रति दिन
65.	अन्य ऐसे जिनका उल्लेख उपरोक्त में न किया हो	10.00 प्रति दिन

नोट : अ–एक फड़ की मापदण्ड 232.5 मीटर मान्य होगा।

ब–तहबाजारी देने का अर्थ केवल भूमि का अस्थाई उपयोग है, जिसे किसी भी समय अनाधिकृत अस्थाई या स्थाई उपयोग को भी किसी नोटिस के हटाया जा सकता है।

13–तहबाजारी साप्ताहिक व पैंठ में नगर पंचायत द्वारा अधिकृत ठेकेदार उपरोक्त निर्धारित दरों से अधिक की धनराशि नहीं वसूल कर सकता है अधिक वसूली प्रमाणित होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के ठेके को निरस्त कर दे तथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत की धनराशि को जब्त कर ले, ठेकेदार को इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत कालाढूंगी, जनपद–नैनीताल यह आदेश देती है, कि उपर्युक्त नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो 1000/– (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, तो रु0 50/– (पचास रुपया) प्रतिदिन तक अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।

28 जनवरी, 2010 ई0

संख्या 2606/I–कर अनुभाग/09–10–नगर पंचायत, कालाढूंगी, जिला नैनीताल ने उत्तर प्रदेश म्यु0 एक्ट, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 128 (1) के द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सीमा के अन्तर्गत भूमि/भवन की व्यवस्था को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु भूमि/भवन कर लागू करने के लिए उपनियम बनाये गये हैं।

अतः उपविधि उक्त एक्ट की धारा 300(1) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

उपनियम भवन/भूमिकर

1–परिभाषा–

(क) यह उप विधि नगर पंचायत, कालाढूंगी की सीमा अन्तर्गत भवन/भूमि कर के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी।

(ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) सेवक से तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी के अधीन सेवारत कर्मचारी से है।

(ङ) सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(च) निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी से है।

(छ) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

भवन/भूमिकर नियमावली का प्रारूप

1–अ–रेलवे स्टेशनों, होटलों, कॉलेजों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों और इसी प्रकार की अन्य इमारतों का वार्षिक मूल्य, इमारत बनाने की वर्तमान लागत तथा उसके अहाते की भूमि की कीमत का 12 प्रतिशत माना जायेगा।

ब–उस भवन या भूमि का जो उपरोक्त वाक्य (अ) में नहीं आता, सामान और मशीनों आदि उनके साथ किराये पर दी गयी हों, उनके किराये को घटाकर विशेष किराया और जब भूमि या भवन किराये पर न उठाई गयी हो तो उचित किराया जिसमें कि आने की आशा हो।

2–भवन में यदि कोई अहाता रहा हो तो वह भी शामिल होगा और यदि किसी मुश्तरका में कई इमारतें हों तो मुश्तरका अहाते की समस्त इमारतें।

3– अ–15 दिसम्बर को या उससे पहले, समस्त निकाय क्षेत्र के भीतर स्थित ऐसी सभी इमारतों की सूची तैयार करेगी जिसके सम्बन्ध में यह मालूम हो कि उन पर कर लगाया जा सकता है। तब निकाय में दर्ज की गयी प्रत्येक इमारत की मालियत पर और किसी ऐसी दूसरी इमारत की मालियत जो उस इमारत की निर्धारित की गयी हो और कर की रकम जो उसके स्वामी पर निर्धारित की गयी हो, निर्धारण सूची में दर्ज की जायेगी जो इन नियमों के साथ मुद्रित प्रपत्र के अनुसार होगी और 20 जनवरी को या उससे पहले पूरी की जायेगी।

ब–कर दो बराबर किश्तों में अदा किया जायेगा और उनकी अदायगी का दिनांक 15 मई और 15 नवम्बर होगा। किन्तु इसमें प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाहे तो किसी किश्त को उसकी अदायगी के लिये नियत दिनांक से पहले अदा कर सकता है।

स–यदि वह कर उस तिथि से जिसको कर देना है, एक मास के अन्दर समाप्त नहीं किया गया तो वह बकाया मान लिया जायेगा।

4–अ–कोई व्यक्ति किसी भी समय अपना नाम किसी भवन या भूमि के लिए बतौर स्वामी कर की सूची में इन्द्राज कराने के लिये प्रार्थना कर सकता है और जब तक प्रार्थना–पत्र को अस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त कारण न हो, अस्वीकृत नहीं किया गया तो उसका नाम, कर की सूची में इन्द्राज कर दिया जायेगा।

ब–यदि किसी जायदाद के स्वामी के बारे में यह सन्देह हो तो बोर्ड (कमेटी) निर्णय, देगा कि किसका नाम बतौर स्वामी लिखा जाये और वह निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक प्रतियुक्त न्यायालय इसके विरुद्ध निर्णय न दें।

5–अ–यदि भवन या भूमि जिस पर कर लग चुका हो या लगने वाला हो, के स्वामित्व के अधिकारों में परिवर्तन न हो, वह व्यक्ति जो अधिकारों का परिवर्तन करता है और वह व्यक्ति पंजीयन करने यदि पंजीयन किया गया हो, के तीन मास के अन्दर इस अधिकार–परिवर्तन की लिखित सूचना अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत को देगा।

ब–यदि भवन तथा भूमि जिस पर कर लग चुका हो अथवा लगने वाला हो, के स्वामी की मृत्यु हो गयी हो तो उत्तराधिकारी तीन माह के अन्दर इसकी सूचना नगर पंचायत के कार्यालय में देगा।

6–ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हक में परिवर्तन किया गया हो, अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के मांगने पर परिवर्तन का दस्तावेज, यदि कोई हो, तो उसकी प्रतिलिपि जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1877 के अधीन प्राप्त की गयी हो, दिखलायेगा।

7–अ–वह व्यक्ति जिसके ऊपर उत्तराधिकारी के नोटिस का उत्तरदायित्व उपर्युक्त नियमों के अनुसार, जायदाद का पिछला बकाया कर दाखिल–खारिज के स्वीकृत हो जाने के पूर्व कुल जमा कर देगा।

ब–अधिकार पाने वाला व्यक्ति प्रत्येक जायदाद के दाखिल–खारिज के लिये 5000/– रु0 (पांच हजार रुपये) शुल्क कार्यालय में जमा करेगा।

8–दाखिल–खारिज के प्रार्थना–पत्र अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जायेंगे किन्तु शर्त यह है कि वह किसी भी मामले को बोर्ड के निर्णय के लिए रख सकता है।

9–यह कर अधिनियम के अनुसार अधिशासी अधिकारी के देख–रेख में वसूल किया जायेगा।

10–यदि किसी व्यक्ति का कर शेष रहेगा तो वह नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173–क के अन्तर्गत वसूल किया जायेगा, यह कर कार्यालय, नगर पंचायत के इन्डोर प्रणाली से वसूल किया जायोगा।

11–माफी या वापसी प्राप्ति के लिए इमारत का स्वामी जो अलग–अलग हिस्सों पर हो, इमारत पर लगाये जाने के सम एसेसमेन्ट लिस्ट (निर्धारित सूची) के तमाम इमारत वार्षिक मूल्य के अतिरिक्त उसके अलग–अलग भागों में विस्तार से लिखे जाने के लिए निकाय से प्रार्थना कर सकता है।

12–नगर पंचायत को भवन कर लगाने के लिए स्वामी के पास भवन, जिस पर नगर पंचायत कर लगाने से संबंधित अधिकार रखती है, पर्याप्त है। चाहे वह भवन, भूमि अथवा तत्सम्बन्धी वस्तु किराये से मुक्त क्यों न हो।

कर का विवरण :

1–नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत भवनों/भूमि के वार्षिक मूल्य पर 10 प्रतिशत कर लगाया जायेगा।

2–यह कर जायदाद के स्वामी पर लगाया जायेगा।

3–यह कर निकाय या निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आंका जायेगा और कर निर्धारण के वर्ष की सूची जो इन नियमों के साथ मुद्रित प्रपत्र के अनुसार होगी और 20 जनवरी को या उससे पूर्व पूरी कर दी जायेगी।

4–कर निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर ऐसे स्थानों की सूचना दी जायेगी जहां पर सूचियां देखी जा सकती हैं और सभी संबंधित व्यक्तियों का बजरिये व्यापक प्रचार तथा स्थानीय अखबारों के माध्यम से सूचित किया जायेगा। इस घोषणा के 30 दिन के अन्दर आपत्तियां निकाय में ली जायेंगी और ऐसी आपत्तियां निकाय द्वारा नियत तारीख को सुनी जायेंगी।

5–आपत्ति, यदि कोई हो, तो उज्रदार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में तय की जायेगी। उज्रदार या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में आपत्तियों पर एकतरफा निर्णय ले लिया जायेगा और सूची में ऐसे संशोधन किये जायेंगे जो आवश्यक हैं।

6–जब निकाय इस प्रकार की सूची को अन्तिम रूप दे चुका हो तो वह सूची समस्त कागजात सहित पुष्टिकरण के लिये नियत प्राधिकारी को भेज दी जायेगी।

7–नियत प्राधिकारी को या कोई नियत प्राधिकारी नियुक्त न किया गया हो तो जिला अधिकारी महोदय निर्धारित सूची की जांच करेंगे और उसे या तो उसी रूप में पुष्टि कर देगें या निकाय को उसमें ऐसे बदलाव, शुद्धियां या संशोधन करने के ऐसे आदेश देंगे जो उनके राय में आवश्यक या न्यायोचित हों और जब उपरोक्त बदलाव आदि किये जा चुके हों तो वह उस सूची की पुष्टि कर देंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे जो इस बात का प्रतीक होगा कि उस सूची की पुष्टि कर दी गयी है। तत्पश्चात् वह सूची कमेटी को लौटा दी जायेगी।

8–उपरोक्त खण्ड 7 में पुष्टि की गयी सूची को कार्यालय, नगर पंचायत में जमा कर दी जायेगी और उसके बाद सार्वजनिक नोटिस देकर यह घोषणा की जायेगी कि सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

9–इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथियों से भूमि/भवन कर से संबंधित समस्त पूर्व प्रभावी उपविधियां स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

10–निम्नलिखित कर से मुक्त रहेंगे :–

(अ) मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, इमामबाड़ा, दरगाह, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि खैराती संस्थाओं का सिवाय वह भाग जो किराये पर चल रहा है।

(ब) नगर पंचायत के कर्मचारियों की इमारतें जिनमें वह स्वयं रहते हैं।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करके नगर पंचायत, कालाढूंगी, जनपद नैनीताल यह आदेश देती है कि उपर्युक्त नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो 1000/– (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, तो रु0 50/– (पचास रुपया) प्रतिदिन तक अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।

27 जनवरी, 2010 ई0

संख्या 2604/I–कर अनुभाग/09–10–नगर पंचायत, कालाढूंगी, जिला नैनीताल ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 298(2) की सूची–(1) च, छ के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमान्तर्गत आटा चक्की, कोल्हू, तेल पेलने की मशीन, धान मिल तथा कारखाने जो विद्युत भाप, पेट्रोल या तेल से चलाये जाते हैं, को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए लाईसेन्स उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0 5(3), दिनांक 30–12–2009 को कर दी गयी है।

अतः उपविधि उक्त एक्ट की धारा 300(1) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

उपविधियां

1–परिभाषा–किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर–

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, कालाढूंगी की सीमा अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियम हेतु उपविधि कहलायेंगी।

(ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) सेवक से तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी के अधीन सेवारत कर्मचारी से है।

(ङ) निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी से है।

(च) सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत, कालाढूंगी की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(छ) मिल तथा फैक्ट्री इसमें वह सभी मिलें तथा फैक्ट्री सम्मिलित हैं, जो दाल, चावल, खांड, गन्ने का रस, चीनी मिल, आइस्क्रीम, चारा काटन, लकड़ी चीरना, खराद, रुई धुनना, सूत मिल व दूसरे प्रकार की वस्तुएं, इन्जीनियरिंग का सामान आदि बनाने का या अन्य प्रकार के कामों में लाई जाती हों और नगर पंचायत, कालाढूंगी की सीमा के भीतर काम में लाई जावें और जो मिट्टी के तेल से, पेट्रोल से, स्टीम से, बिजली से या किसी अन्य यन्त्र से चलाई जाती हैं किन्तु उसमें हाथ तथा पशुओं द्वारा चलाई जाने वाली मशीनें सम्मिलित नहीं हैं।

2–कोई भी व्यक्ति टाउन एरिया सीमा के भीतर किसी प्रकार की मिल या फैक्ट्री जिसका वर्णन उपरोक्त परिभाषा में आता है, तब तक न स्थापित करेगा व चलाएगा, जब तक उसने निकाय के अधिकृत लाइसेन्सिंग अधिकारी से इसका लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया हो :–

(क) यह उपनियम उन सभी मिलों या फैक्ट्री पर भी लागू होंगे जो इन उपनियमों के बनने से पूर्व निर्मित हैं।

(ख) चारा शब्द का अर्थ उस कुट्टी काटने की मशीन से है जो कि सभी पावर से चलती है।

3–इन उपनियमों के अनुसार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी/लाईसेन्सिंग अधिकारी होंगे।

4–प्रत्येक लाईसेन्स की अवधि वार्षिक (1 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च) को समाप्त हो जायेगी और उसके नवीनीकरण के लिए अवधि समाप्ति के 15 (पन्द्रह) दिन से पूर्व प्रार्थना–पत्र देना चाहिए। यदि कोई अवधि समाप्त होने के बाद प्रार्थना–पत्र देता है तो उसे 31 मार्च के बाद 50.00 रु0 (पचास रुपये) अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देना होगा।

5–यदि लाईसेन्सिंग अधिकारी की राय में कोई विशेष स्थान किसी विशेष मिल या फैक्ट्री के लिए उचित न हो तो लाईसेन्स खारिज कर सकते हैं, भले ही इन उपनियमों के अनुसार लाईसेन्स दिया जा चुका हो किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि वहां के निवासियों द्वारा आपत्ति उठाई गयी हो कि वह मिल या फैक्ट्री आपत्तिजनक सिद्ध हुई हो।

6–मिल या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के निवास गृहों को छोड़कर जब तक इंजन अन्य निवास गृहों से 200 फिट की दूरी पर स्थित न हो, इंजन से पैदा हुई आवाज इन उपनियमों के अन्तर्गत आपत्तिजनक मानी जायेगी।

7–प्रत्येक लाईसेन्स गृह को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा :–

(क) वह स्थान जहां मिल या फैक्ट्री लगी हुई है, पक्का तथा इतना मजबूत होना चाहिए जो यंत्र के कम्पन्न को सम्भाल सके।

(ख) वह स्थान जहां मिल या फैक्ट्री लगी हुई है, का अहाता स्वच्छ रखा जायेगा तथा रोशनी, हवा और नालियों का समुचित प्रबन्ध होगा।

(ग) लाईसेन्सिंग अधिकारी अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/निरीक्षक तथा वह सदस्य जिसको निकाय नियुक्त करे, हर समय मिल या फैक्ट्री यदि बन्द भी हो तो खोली जायेगी और यह अधिकार होगा कि किसी भी वस्तु का नमूना लिया जा सके। प्रबन्धन या स्वामी को उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा।

(घ) जो भी मिल या फैक्ट्री स्टीम या भाप से चलती हो, उसकी चिमनी 15 फुट ऊंची आस–पास के समस्त भवनों से होनी चाहिए जो कि 200 फुट के इर्द–गिर्द हों।

(ङ) प्रबन्धक या स्वामी कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं करेगा जो कि छुआछूत के रोग से पीड़ित हो।

(च) मिल या फैक्ट्री के भीतर ऐसा कोई सामान जिस पर सरकार द्वारा पाबन्दी हो, नहीं रखा जा सकेगा।

(छ) मिल या फैक्ट्री में एक निरीक्षण पत्रिका रखी जायेगी जो लाईसेन्सिंग अधिकारी के समक्ष समय–समय पर प्रस्तुत की जाया करेगी और निरीक्षण के समय निरीक्षक के सम्मुख भी प्रस्तुत की जाया करेगी।

8–लाईसेन्स शुल्क पूरे वित्तीय वर्ष का लिया जायेगा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, चाहे लाइसेन्स वित्तीय वर्ष के किसी भी तिथि में बने।

9–यदि किसी मिल या फैक्ट्री में एक से अधिक मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं तो प्रत्येक मशीन का अलग–अलग बदलने की सामान्य फीस अलग–अलग दाखिल करके रसीद व लाईसेन्स प्राप्त करना होगा। किसी भी मशीन के चालू होने या कोई कारण नहीं माना जायेगा और जो मिल या फैक्ट्री आदि जो पहले से बन्द होंगे, वह इससे मुक्त होंगे किन्तु वह किसी भी समय या दशा में चालू करना चाहेंगे तो उनके लिये इन उपनियमों के अधीन कार्य करना होगा।

10–मिल या फैक्ट्री के सम्बन्ध में एक या उससे अधिक मोटर या इंजन हो जो काम में लाये जावें, प्रत्येक का शुल्क जमा करके प्रत्येक का लाईसेन्स लिया जायेगा।

11–लाईसेन्स शुल्क निम्नलिखित दरों से लिया जायेगा :–

(अ) 1 से लेकर 10 हार्स पावर तक के मोटर या इंजन विद्युत या अन्य शक्ति के प्रयोग करने पर रु0 500.00 (पांच सौ मात्र) प्रति वर्ष।

(ब) 11 से लेकर 30 हार्स पावर तक के मोटर या इंजन विद्युत या अन्य शक्ति के प्रयोग करने पर रु0 2000.00 (दो हजार मात्र) प्रति वर्ष।

(स) 31 से लेकर 50 हार्स पावर तक के मोटर या इंजन विद्युत या अन्य शक्ति के प्रयोग करने पर रु0 5000.00 (पांच हजार मात्र) प्रति वर्ष।

(द) 51 से लेकर 250 हार्स पावर तक के मोटर या इंजन विद्युत या अन्य शक्ति के प्रयोग करने पर रु0 15000.00 (पन्द्रह हजार मात्र) प्रति वर्ष।

12–उपरोक्त किसी भी उपनियम के उल्लंघन किये जाने पर लाईसेन्सिंग अधिकारी को रद्द/निलम्बित कर सकता है।

13–लाईसेन्सिंग अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा निलम्बित या रद्द किये गये लाईसेन्स के आदेश के विरुद्ध अपील निकाय में 15 (पन्द्रह) दिन के अन्दर कार्यालय में क्षुब्ध व्यक्ति कर सकता है और कमेटी का निर्णय माना जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों प्रयोग करके निकाय एतद्द्वारा यह आदेश देती है कि उपर्युक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो मु0 रु0 1000.00 (एक हजार मात्र) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50 (पचास रुपये) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।

09 मार्च, 2010 ई0

संख्या 2456/I–कर अनुभाग/09–10–नगर पंचायत, कालाढूंगी, जिला नैनीताल ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 298(2) की लिस्ट–(1) "एच, बी" जो नगर पंचायत, कालाढूंगी पर लागू है, के अन्तर्गत नगर पंचायत, कालाढूंगी सीमा के अन्दर मोटर अड्डे स्थापित एवं नियंत्रित करने सम्बन्धी उप नियम सं0 ज्ञाप/63–स्था0नि0(88–89), दिनांक 05 जून, 1989 ई0 एवं उत्तर प्रदेश गजट, 22 जुलाई, 1989 ई0 (आषाढ़ 31, 1911 शक संवत्) के द्वारा लागू किये गये हैं। उपनियम की अनुसूचित (अ) शुल्क की दरों में निम्न संशोधन किया गया है। जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0 4, दिनांक 24–02–2010 को कर दी गयी है।

अतः उपविधि उक्त एक्ट की धारा 300(1) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

उपनियम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, कालाढूंगी, जिला नैनीताल ने उत्तर प्रदेश म्यु0 एक्ट, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 संशोधन अधिनियम, 2003 की धारा 298(2) लिस्ट 1 एच (बी0) जो नगर पंचायत, कालाढूंगी पर भी लागू है, के अन्तर्गत नगर पंचायत, कालाढूंगी सीमा के अन्दर मोटर अड्डे स्थापित तथा नियन्त्रित करने के लिए निम्नलिखित उपनियमों का संशोधन कर उपनियम बनाये हैं :–

1–सभी स्वतः चलने वाली गाडियां, मोटर कार, ट्रक, लारी, जो कि किराये पर प्रयोग में लाई जाती हैं, उन स्थानों को छोड़कर जो कि नगर पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित हैं, अन्य किसी स्थान पर कालाढूंगी नगर पंचायत की सीमा में खड़ी की जायेंगी। यह नियम उस समय उन गाड़ियों पर लागू नहीं होंगे जब वास्तव में सामान उतारती या चढ़ाती हों।

2–ऐसी गाड़ियों का ड्राईवर या प्रभारी व्यक्ति उस अड्डे को जो कि नगर पंचायत द्वारा धारा 1 के अन्तर्गत निर्धारित है, उस समय तक प्रयोग में नहीं लायेगा, जब तक कि उनके द्वारा अनुसूची (अ) में निश्चित शुल्क नगर पंचायत द्वारा नियुक्त कर्मचारी या ठेकेदार को भुगतान न किया गया हो।

3–ऐसी किसी गाड़ी का प्रत्येक ड्राईवर या प्रभारी व्यक्ति गाड़ी खड़ी करने के शुल्क की रसीद जब आवश्यक होवे, अध्यक्ष, प्रशासक, अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकारी जो इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, प्रस्तुत करेगा।

4–ऐसी कोई गाड़ी यात्रियों या सामान के लिए नगर पंचायत के सीमा में व उन स्थानों पर जिनका उल्लेख धारा 1 में हो, के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर ही खड़ी करेगा। केवल बारात आदि अवसरों पर जब कि गाड़ी के निजी मकानों के सामने यात्रियों या सामान चढ़ाने–उतारने के लिए खड़ी करना आवश्यक हो, वह कर सकता है।

5–कोई भी व्यक्तिगत मोटर अड्डा नगर पंचायत क्षेत्र में किराये पर चलने वाली गाड़ियों के लिए स्थापित नहीं किया जायेगा।

6–तीन दिन से अधिक कोई मोटर, लारी, ट्रक, टैक्टर, कार मैटाडोर, टैम्पो, निजी वाहन जो कि किराये पर चलती हो, मोटर अड्डे पर खड़ी नहीं रहने दी जायेगी। इसके हेतु रु0 10/– (दस रुपया) प्रति चक्कर या दिन के भाग पर पार्किंग शुल्क वसूल किया जायेगा। कालाढूंगी नगर पंचायत की सीमा में प्राईवेट मोटर अड्डे हेतु नहीं किया जायेगा। यह नियम सरकारी कार्य हेतु बस या ट्रक पर लागू नहीं होगा।

7–धारा 2 के अन्तर्गत जो कर्मचारी नियुक्त होगा, उसके निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :–

1–इन उपनियमों के अधीन शुल्क वसूल करेगा।

2–अनुसूची (1) के अनुसार एक रजिस्टर रखेगा जिसका विवरण प्रत्येक मोटर, लारी, ट्रक या कार ड्राईवर टैक्टर, निजीवाहन या प्रभारी व्यक्ति देगा और सत्यता की प्रमाणिकता के लिए अपने हस्ताक्षर करेगा।

3–यातायात को नियन्त्रित करेगा और देखेगा कि गाड़िया इस भांति खड़ी की जाय जिससे यातायात में अड़चन या असुविधा न हो।

4–कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का गाड़ी ड्राईवर या प्रभारी व्यक्ति द्वारा पालन किया जायेगा।

5–गाड़ी का प्रत्येक ड्राईवर या प्रभारी व्यक्ति अपना सही नाम व पूरा पता, अन्य सूचनायें जो कि इन उपनियम के अन्तर्गत आवश्यक हो, बताने के लिए बाध्य होगा।

अनुसूची "अ"

क्र0सं0	वाहन	पार्किंग शुल्क की वर्तमान दरें शुल्क प्रति चक्कर	संशोधित पार्किंग शुल्क की दरें
1.	मोटर, ट्रक, रोडवेज की बसें आदि जो यात्रियों को या सामान ले जायें	05.00	10.00
2.	व्यक्तिगत कार, टैक्सी आदि	02.00	05.00
3.	निजी वाहन जैसे मैटाडोर, टैम्पों, ट्रैक्टर आदि जो सामान उतारें या ले जायें	03.00	08.00

दण्ड

यू0पी0 म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत जो नगर पंचायत पर भी लागू है, प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, कालाढूंगी यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपनियमों के किसी भी पैरा या उपनियम का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो 1000/– रुपये तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माने का दण्ड दिया जायेगा जो पहले अपराध के दिनांक के पश्चात् से प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, तो रु0 25/– (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, कालाढूंगी
(नैनीताल)।

दीप चन्द्र सती,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, कालाढूंगी
(नैनीताल)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट/216–भाग 8–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।